394
11.25

संख्या–259 /VI/2017–80(21)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभागः देहरादून : दिनांकः 22 जून, 2017

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–513/2015 अगस्त्यमुनि में एक बहुउद्देशीय मंच निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–587/सं0नि0उ0/दो–3(मु0घो0–43)/2017–18 दिनांक 01 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या–590/VI/2015–80(21)/2015 दिनांक 21.11.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अगस्त्यमुनि में एक बहुउद्देशीय मंच निर्माण हेतु ₹51.00 लाख (₹इक्यावन लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹20.40 लाख (₹बीस लाख चालीस हजार) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। अवशेष धनराशि ₹30.60 लाख (₹तीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते:–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–312/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त कार्य के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

5– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6– धनराशि का आहरण कार्य की भौतिक प्रगति के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रगति संतोषजनक होने पर किया जायेगा।

7– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–106–संग्रहालय–06–प्रेक्षागृह का निर्माण–00–24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या –259 /VI/2017–30(21)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड रूद्रप्रयाग।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव